न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

(राजस्व) वाद संख्या :— 491 / 2024

1. ओमप्रकाश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सीथल तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
2. बसन्ती देवी पुत्री हरिसिंह पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी बसावता तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं।
3. भतेरी देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी सीथल तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
4. मुन्नी देवी पुत्री हरिसिंह पत्नी बहादुर सिंह जाति जाट निवासी बसावता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं।
5. सन्जू देवी पुत्री हरिसिंह पत्नी श्री प्यारेलाल जाति जाट निवासी दूडिया गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
6. सुरेश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सीथल तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
7. सरोज देवी पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी शिलारपुरी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

— वादीगण

बनाम

1. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुंझुनूं जरिये प्रबंधक तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

— प्रतिवादीगण

(उप)स्थित पक्षकारान
(वि)द्वान अधिवक्ता वादी — श्री विक्रम दुलड़, श्री सतीश स्वामी व श्री सुभाष भाकर
(वि)द्वान अधिवक्ता प्रतिवादी —

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक 30.05.2025

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सीथल पटवार (हल्)का सीथल के सरहद में हाल खाता संख्या 150 पुराना 114 में भूमि हाल खसरा नम्बर 1315 (र)कबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.06 है0, खसरा (नम्)बर 1419 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 0.02 है0, खसरा (नम्)बर 1422 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.19 (है0), खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.15 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1437 (र)कबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1438 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.99 है0, खसरा (न)म्बर 1492 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.14 है0 कुल किता 16 रकबा 10.28 है0 (भू)मि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि का पूर्व में खातेदार गणेशाराम रहा है उक्त गणेशाराम का (दे)हान्त हो चुका है। गणेशाराम की वंश वंशावली निम्नानुसार है:—

गणेशाराम
↓ (ह)रिसिंह (फौत) | ↓ फुलचन्द उर्फ फुल सिंह (फौत) | ↓ धनकोरी देवी (फौत)

हरिसिंह (फौत) ↓
(भ)तेरी देवी (पत्नी) | सुरेश कुमार (पुत्र) | ओमकुमार सिंह (पुत्र) | मुन्नी देवी (पुत्री) | सरोज देवी (पुत्री) | बसन्ती देवी (पुत्री) | संजू देवी (पुत्री)

गणेशाराम के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय गणेशाराम की पुत्री धनकोरी देवी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि अपने दोनों भाईयों हरिसिंह व फुलचन्द उर्फ फुलसिंह के हक में परित्याग किये जाने से धनकोरी देवी के हक हिस्से की भूमि हरिसिंह व फूलचन्द उर्फ फुलसिंह के हिस्से में दर्ज होने से वर्तमान खाता में धनकोरी देवी खातेदार नहीं है। फुलसिंह उर्फ फुलचन्द अविवाहित था। जिसकी देखभाल वादीगण के पूर्वज हरिसिंह के द्वारा व वादीगण द्वारा की गई। इस कारण फुलसिंह उर्फ फुलचन्द ने अपने हक हिस्से की भूमि अपने भाई हरिसिंह को कब्जा काश्त के लिए दे दी जिस पर अपने जीवन पर्यन्त वादीगण का पूर्वज

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

हरिसिंह कब्जा काश्त रहा व हरिसिंह के फौत होने पर वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए वादीगण फुलचन्द उर्फ फुलसिंह के उत्तराधिकारी होने से फुलचन्द उर्फ फुलसिंह उक्त वर्णित भूमि में 1/8 हक हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं तथा उक्त वर्णित भूमि का खातेदार फुलचन्द उर्फ फुलसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से नाम हजफ किया जाकर इनके विधिक वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक (1/56-1/56) हिस्से में अपना नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। इसलिए उक्त दावा न्यायालय श्रीमान के यहां पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में फुलचन्द उर्फ फुलसिंह से विरासतन रूप से प्राप्त भूमि के 1/56, 1/56 हिस्से का वादीगण संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को फुलचन्द उर्फ फुलसिंह का नाम हजफ किया जाकर संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादिया संख्या 1 ने जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद वादीगण डिक्री किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा न्यायहित में कई अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जबाव नहीं देने से उनकी जबावदेही बन्द गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व 8 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरुद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व 8 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कायममुकाम व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 151 सीपीसी पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर संशोधित उनवान व संशोधित वादपत्र पेश किया गया जो पत्रावली में शामिल हों।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में फुलचन्द उर्फ फुलसिंह के अविवाहित फौत होने से विरासतन रूप से प्राप्त भूमि के 1/56, 1/56 हिस्से का वादीगण संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को फुलचन्द उर्फ फुलसिंह का नाम हजफ किया जाकर संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल के सरहद में हाल खाता संख्या 150 पुराना 114 में भूमि हाल खसरा नम्बर 1315 रकबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 0.02 है0, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.15 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1438 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 1492 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.14 है0 कुल किता 16 रकबा 10.28 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में फुलचन्द उर्फ फुलसिंह से विरासतन रूप से प्राप्त भूमि के 1/56, 1/56 हिस्से का वादीगण संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को फुलचन्द उर्फ फुलसिंह का नाम हजफ किया जाकर संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान ओमकुमार बनाम धनकोरी वगै0

मुकदमा नं. : 491 / 2024 निर्णय दिनांक : 30.05.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता विक्रम दुलड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 30.05.25 को सुप्रिया आर.ए.एस. सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम सीथल पटवार हल्का सीथल के सरहद में हाल खाता संख्या 150 पुराना 114 में भूमि हाल खसरा नम्बर 1315 रकबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 0.02 है0, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 1431 रकबा 1.15 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1437 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 1438 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 1492 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.14 है0 कुल किता 16 रकबा 10.28 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में फुलचन्द उर्फ फुलसिंह से विरासतन रूप से प्राप्त भूमि के 1 / 56, 1 / 56 हिस्से का वादीगण संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को फुलचन्द उर्फ फुलसिंह का नाम हजफ किया जाकर संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान वहन करें। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह डिक्री आज दिनांक 30.05.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा मूर्तिब किया गया।

30.05.25

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर,
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	 3 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर,
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुन्झुनूं